

का.स.प. (10/12/07)
आज दि. 31/12/07 को प्रस्तुत।

24

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन प्रकरण क्रमांक

R 2001-PBR/07

बाबूशंकर सोनकर पिता श्री मेवालाल सोनकर
साकिन 480 भरतीपुर, जबलपुर

—आवेदक/पिटीशनर

वि रू द्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा उप पंजीयक जबलपुर

— प्रत्यार्थी

रिवीजन अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

आवेदक / पिटीशनर माननीय न्यायालय से निवेदन करता है :-


यह कि आवेदक/पिटीशनर न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्पस जिला जबलपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 169/बी-103/धारा 33 /2004-05 पक्षकारों के नाम मध्यप्रदेश शासन द्वारा उप पंजीयक जबलपुर विरुद्ध श्री बाबूशंकर सोनकर पिता श्री मेवालाल सोनकर में पारित आदेश दिनांक 02.6.2007 से दुखित होकर श्रीमान कमिश्नर महोदय के यहां प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 47 का भारतीय स्टाम्प अधिनियम में पारित आदेशानुसार उक्त रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

तथ्य

यह कि पिटीशनर / अनावेदक द्वारा मौजा पुरवा नं.बं. 162 प.ह.नं. 28/33 रा.नि.मण्डल जबलपुर-1 तहसील व जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 662/7 कुल रकवा 9.328 हेक्टर में से 5 एकड़ भूमि श्री कुंवर बहादुर सोनकर आत्मज स्व. श्री मोतीलाल सोनकर निवासी 348 भरतीपुर जबलपुर वगैरह से दिनांक 31.03.2005 को खरीद की थी । •

यह कि उपरोक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में अनावेदक/क्रेता ने अनावेदक विक्रेता से सम्पत्ति की संपूर्ण प्रतिफल की राशि 10,00,000/- अंकन दस लाख रूपया प्राप्त कर पिटीशनर / अनावेदक क्रेता को उक्त सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य भी उसी दिनांक को सौंप दिया गया था ।

K.S.P. (10/12/07)
31/12/07



Handwritten signature

आवेदक/पिटीशनर

